A/78
5/2/17/18

पाण्या ओपूराम बनाम नेनाडेवी

कार्यालय टिप्पणी

आज दि. 13/02/25 को पत्रावली पेश हुई।
अभिभाषक [illegible] कन्डोलेंस/[illegible]
बहिकार/[illegible] के कारण,
न्यायालय [illegible] पीठासीन.
अन्य कार्य [illegible] अतः पत्रावली
पूर्वानुसार दिनांक 20/2/25 को पेश हो।

20/2/25 पत्रावली पेश है। वकील उभयपक्ष उपस्थित। वादीगण की ओर से प्रार्थना पत्र काबिल पिट्ठा दिये जाने बाबत पेश का मेमोरेंडम दिया गया कि पक्षकारों के मध्य आपसी सहमति से राजीनामा हो गया है। वाद में आगे नहीं चलाना चाहते हैं। वादीगण द्वारा अपने हस्ताक्षर मोहियान पर कायम किये जिसकी पहचान वकील वादी द्वारा की गई। अब स्वयं वादीगण वाद को आगे नहीं चलाना चाहते हैं। वे वाद में आगे चलाने बाबत कोई औचित्य नहीं है। वादीगण का प्रार्थना स्वीकार किया जाकर वाद में पिट्ठा के आदेश दिया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार। डीएसपी नेक्स्ट डेट फिक्स है। निर्णय आज दिनांक 20/2/25 को लिखाया जाकर फैसल सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

20/2/25